

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्रीति, जवाहर इफारा - पुस्तक दस्तावेजों शपथ-पत्र, आवाक कांड, परिवार रजिस्ट्रार कांड व  
 वक पालक के आधार पर प्रार्थी का नाम लिखमण सिंह से लक्ष्मण सिंह शेषावत पुत्र  
 अनुमान सिंह किया जाना उचित होगा।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

23/11/21  
 120333

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उचित किया जाना उचित है

23/11/2021  
 तहसीलदार (शू.अ.)  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1524  
 23/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेल (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (शू.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (शू.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पारद	2075-78	616	लिखमण सिंह पुत्र अनुमान सिंह	लक्ष्मण सिंह शेषावत पुत्र अनुमान सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1197-1198

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (शू.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तु पालनाार्थ।
  2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी